न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **05 / 2018** अपील (राजस्व)

1. श्री औकांरलाल पिता स्व. श्री नाथू लाल जैन, कार्यालय 12, हीरा कुंज खोताची वाड़ी, वी.पी. रोड़, मुम्बई
2. श्री नंदिश पिता औंकार लाल जैन, कार्यालय 12, हीरा कुंज खोताची वाड़ी, वी.पी. रोड़, मुम्बई

—— **अपीलान्टगण**

बनाम

तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर दिनांक 12.09.2017

उपस्थित : श्री अनिल जाखड़, अधिवक्ता अपीलान्टगण
श्री मनोज कुमार पॅवार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

निर्णय

दिनांकः—04.06.18

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलान्ट फर्म द्वारा एमपीआरआरडीए में रोड़ बनाने के कार्य का ठेका लिया था जिसमें टेंडर की शर्तो के अनुसार जो सामग्री चाही गई उसी अनुसार उनकी किमत आंककर अपीलान्ट द्वारा टेंडर भरा गया जो अपीलान्ट के नाम पर खुला। सामान की किमत व क्वालिटी टेंडर में दी गई। जिसमें उच्च गुणवत्ता व उच्च कीमत की सामग्री में काम किया। अपीलान्ट को कार्य करने का अवसर दिये बिना ही अपीलान्ट का टेंडर निरस्त कर अपीलान्ट की धरोहर राशि जब्त कर बिना किसी कारण अन्य ठेकेदार को कार्य करने का आदेश दिया गया। मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अधिकरण मन्दसौर जरिये जनरल मैनेजर की ओर से एकतरफा

कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध 27.21 लाख रूपये की वसूली का आदेश दिया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार गिर्वा द्वारा 27.21 लाख रूपये की वसुली हेतु अपीलान्ट की व्यक्तिगत चल सम्पत्ति कुर्क करने का वारन्ट जारी किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा बकाया राशि बाबत भागीदारी फर्म मैसर्स नन्दिश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के विरूद्ध हैं। परन्तु तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपीलान्ट की निजी सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया। जो अवैध व कानुन के विपरीत हैं। मैसर्स नन्दिश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एक भागीदार फर्म हैं तथा इस फर्म का मुख्य कार्यालय मुम्बई–4 में स्थित हैं। इसलिये समस्त कार्यवाही मुम्बई में ही की जानी चाहिये। कम्पनी की सम्पत्ति को ही कुर्क कर बकाया राशि वसुल करने का अधिकार हैं। अपीलान्ट द्वारा टेंडर लेते समय अपनी निजी सम्पत्ति को सड़क विकास प्राधिकरण के पास गिरवी धरोहर राशि के रूप में नहीं रखा। नाही ऐसी कोई शर्त थी। फर्म द्वारा टेंडर भरा गया तथा फर्म की सम्पत्ति से ही वसुलने का अधिकार हैं। इसलिये तहसीलदार द्वारा दिया गया नोटिस दिनांक 12.09.17 को निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। विपक्षी की ओर से परोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्टगण की भागीदारी फर्म द्वारा एमपीआरआरडीए में रोड़ बनाने हेतु ठेका लिया। तय शर्तो के अनुसार टेंडर भरे गये। टेंडर की स्वीकृति अपीलार्थी की भागीदारी फर्म मैसर्स नन्दीश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के नाम पर हुई जिसकी सिक्युरिटी भी जमा करा दी गई। परन्तु मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकारण मन्दसौर द्वारा बिना कारण बताये एकतरफा आदेश जारी करते हुए मैसर्स नन्दीश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को दिया गया कार्य करने का टेंडर निरस्त करते हुए सिक्युरिटी जब्त कर 27.21 लाख रूपये वसुली का आदेश दिया गया।

उक्त आदेश पर तहसीलदार गिर्वा द्वारा वसुली की कार्यवाही मैसर्स नन्दीश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी पर नहीं कर अपीलान्ट के नाम की निजी सम्पत्ति को कुर्क करने का कुर्की नोटिस दिनांक 12.09.17 को दिया गया। जबकि अपीलान्ट द्वारा सड़क विकास प्राधिकरण के समक्ष अपनी कोई निजी सम्पत्ति रहन नहीं रखी गई थी नाही धरोहर रख कर गई थी। इसके बावजुद व्यक्तिगत नोटिस दिया गया जिसे निरस्त फरमाया जावें।

विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि तहसीलदार गिर्वा द्वारा वसुली की कार्यवाही जिला कलक्टर मन्दसौर के आदेश की अनुपालना में की गई। जिसमें महाप्रबन्धक ग्रामीण विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई मन्दसौर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2010 दिनांक 27.10.10 से रकम देय में अपीलान्टगणो का नाम लिखते हुए उनका हिरणमगरी सेक्टर 11 का पता दिया गया हैं। उसी पते पर आदेश की पालना में कुर्की वारन्ट जारी किया गया हैं। यदि अपीलार्थीगणो को कोई अनुतोष चाहिये तो कार्यालय महाप्रबन्धक मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई मन्दसौर के मुल आदेश क्रमांक 2010 दिनांक 27.10.10 के विरूद्ध सक्षम कार्यालय में चाराजोही करे। तहसीलदार गिर्वा द्वारा मात्र अपने राजकीय कर्तव्यो की पालना की जा रही हैं। उनके द्वारा किसी प्रकार की अवैधानिक कार्यवाही नहीं की गई हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी को खारीज करना फरमावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हम विद्ववान पैरोकार सरकार के कथनो से पूर्ण रूप से सहमत हैं। तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपने राजकीय कर्तव्यो का निर्वहन किया जा रहा हैं। राजस्थान भु राजस्व अधिनियम के तहत बकाया राजकीय राशि वसूली का उन्हे पूर्ण अधिकार हैं। उसी के तहत उनके द्वारा वसूली का चल सम्पत्ति कुर्क करने का वारन्ट जारी किया गया है जो राजकीय राशि वसूली की एक प्रक्रिया हैं। जिसे इस न्यायालय द्वारा नहीं रोका जा सकता हैं। यदि अपीलार्थी यह मानते है कि दिया गया नोटिस उचित नहीं हैं। वसूली राशि गलत हैं तो उन्हे

चाहिये कि वे कार्यालय महाप्रबन्धक मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई मन्दसौर के मुल आदेश क्रमांक 2010 दिनांक 27.10.10 के विरूद्ध सक्षम कार्यालय में चाराजोही कर आवश्यक दाद प्राप्त करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर खारीज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा/जिला राजस्व लेखाकार को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

पत्रावली फैसल शुमार हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर